न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़

पीठासीन अधिकारी – त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2016
दायरी दिनांक 03.06.2016

उनवान

1. बाली पुत्री दौलतराम पत्नी मांगीलाल लुहार निवासी सराणा हालमुकाम पटियाल तहसील सिंगोली मध्यप्रदेश।

––अपीलार्थिया

बनाम

1. नंदु पुत्री दौलतराम पत्नी स्व0 हीरालाल लुहार निवासी सराणा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
2. ग्राम पंचायत सराणा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सराणा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––रेस्पोन्डेन्ट्स

उपस्थित :–

1. श्री देवेन्द्र पोरवाल (अधिवक्ता अपीलार्थी)
2. श्री दिनेश चन्द्र तम्बोली (अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1)
3. रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक : 05.12.2019

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थिया द्वारा अपील नामन्तरकरण अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय नामान्तरकरण संख्या 687 दिनांक 23.10.1997 जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में अपीलार्थिया नामान्तरकरण संख्या 687 दिनांक 23.10.1997 को पारित निर्णय नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत सराणा द्वारा विधि एवं वाकियाती तथ्यों के सर्वथा विपरीत हो काबिल निरस्ती के है। अपीलार्थिया व प्रत्यर्थी संख्या 1 दोनों सगी बहनें है। उनके कोई भाई नही है। अपीलार्थिया व प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता का नाम दौलतराम पिता गोपाल लुहार है। दौलतराम के खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि ग्राम सराणा पटवार मण्डल सराणा तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में आराजी संख्या 1197/1016 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा स्थित थी उक्त तथ्य सम्वत् 2051 से 2054 की जमाबन्दी से सिद्ध है। सन् 1997 में खातेदार दौलतराम की मृत्यु हो गई तथा दौलतराम की उपरोक्त भूमि का विरासत का नामान्तरकरण संख्या 687 निर्णित किया गया जिसमें पटवारी हल्का द्वारा खातेदार दौलतराम के दो पुत्रिया नंदू व बाली होने का सजरा अंकित किया गया एवं मृतक खातेदार दौलतराम की दोनों पुत्रियों बाली अपीलार्थिया व नंदू प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने की रिपोर्ट नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 16 में वर्णित की गयी तथा भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी उक्त रिपोर्ट को स्वीकृत किया गया, परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपने अधिकारों से परे जाकर एवं पटवारी व गिरदावर की रिपोर्ट पर गौर न कर अपीलार्थिया का नाम हटाते हुए विवादग्रस्त भूमि को दौलतराम के बजाय अकेले प्रत्यर्थी संख्या 1 नंदू के नाम पर नामान्तरित किये जाने का आदेश दिनांक 23.101997 को पारित कर दिया तथा अपीलार्थियाजो कि नंदू के साथ वादग्रस्त भूमि की खातेदार दर्ज किये जाने योग्य थी को अपने हक अधिकार से वंचित कर दिया तथा सम्पूर्ण विवादग्रस्त भूमि उक्त विधि विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 687 के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 नंदू के नाम दर्ज कर दी गयी। नामान्तरकरण संख्या 687 विधि विरूद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य

है तथा उक्त नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर अपीलार्थिया को 1/2 हिस्से का तथा रेस्पोन्डेन्ट नंदू को 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज रिकॉर्ड किया जाना न्यायसंगत है। अपीलार्थिया विवादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करती आ रही है। अपीलार्थिया अशिक्षित ग्रामीण परिवेश की महिला है तथा उक्त नामान्तरकरण निर्णित करते समय अपीलार्थिया को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया इसलिए अपीलार्थिया को नामान्तरकरण संख्या 687 के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं हो सकी। अपीलार्थिया यही समझती रही कि विवादग्रस्त भूमि 1/2 हिस्से से अपीलार्थिया के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। दिनांक 31.05.2016 को अपीलार्थिया ने तहसील कार्यालय से विवादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी की फोटो प्रति प्राप्त की तब अपीलार्थिया को यह जानकारी हुई कि विवादग्रस्त भूमि रिकॉर्ड में अपीलार्थिया के नाम दर्ज नही है। उसके पश्चात् अपीलार्थिया द्वारा नामान्तरकरण संख्या 687 की नकले प्राप्त की गयी तथा उक्त अपील न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। अपीलार्थिया ने नामान्तरकरण संख्या 687 की जानकारी होने दिनांक 31.05.2016 से अन्दर अवधि अपील प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुत में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत सराणा ने अपीलार्थिया को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर यह नामान्तरकरण निर्णित किया है इसलिए इस अपील की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को है। अतः अपील अपीलार्थिया स्वीकार फरमाई जावे एवं ग्राम प्रचायत सराणा द्वारा पारित निर्णय नामान्तरकरण संख्या 687 दिनांक 23.10.1997 को निरस्त फरमाया जावे एवं नये सिरे से नामान्तरकरण पारित कर विवादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार अपीलार्थिया को एवं 1/2 हिस्से का खातेदार प्रत्यर्थी संख्या 1 को दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम भी पेश कर निवेदन किया गया कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 687 दिनांक 23.10.1997 निर्णित किये जाते समय प्रार्थिया को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा प्रार्थिया एक ग्रामीण परिवेश की अशिक्षित घरेलू महिला है इसलिए उसे उपर्युक्त नामान्तरकरण विधि विरूद्ध निर्णित किए जाने की जानकारी नहीं हो सकी एवं प्रार्थियां द्वारा समय पर उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी। दिनांक 31.05.2016 को अपीलार्थिया ने तहसील कार्यालय माण्डलगढ़ से विवादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तब अपीलार्थिया को प्रथम बार इस बात की जानकारी हुई कि प्रार्थिया का नाम जमाबन्दी में खातेदार के रूप में दर्ज नही है। उसके पश्चात् प्रार्थिया द्वारा नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की जाकर कोई देरी किये बिना अपील प्रस्तुत की गई जिसे अन्दर अवधि शुमार किया जाना न्यायसंगत है। प्रार्थिया द्वारा अपील प्रस्तुत करने में जानबूझकर देरी नही की गई है यदि अपील प्रस्तु करने में हुई देरी को माफ नहीं किया गया तो प्रार्थिया अपनी खातेदारी भूमि के हक/हिस्से से वंचित हो जावेगी इसलिए दिनांक 23.10.1997 से दिनांक 31.05.2016 तक की अवधि को कन्डोन किया जावे एवं अपील को अन्दर अवधि शुमार किया जावें।

बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट्स को सम्मन नोटिस मय नकल अपील जारी किये गये। दिनांक 10.10.2016 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश तम्बोली द्वारा अधिकार पत्र पेश किया गया तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के बावजूद पूर्व सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। दिनांक 21.11.2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम तथा अपील का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल अधिवक्ता अपीलान्ट को दिलवायी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के जवाब में निवेदन किया गया कि अपीलार्थिया बाली द्वारा अपने पिता दौलतराम की मृत्यु के बाद अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में गाँव एवं समाज के व्यक्तियों के समक्ष त्याग कर दिया गया। उक्त भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। अपीलान्ट किसी प्रकार का

हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। अपीलार्थिया को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। उसने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को अपनी स्वेच्छा से उक्त भूमि हकत्याग की है। नामान्तरकरण खोले 20 वर्ष हो चुके है। प्रार्थिया बाली ने दिनांक 31.05.2016 की दिनांक काल्पनिक अंकित की है। प्रार्थिया की अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अपील का जवाब पेश किया गया जिसकी नकल अधिवक्ता अपीलार्थिया को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के द्वारा जवाब में निवेदन किया गया कि अपील मियाद बाहर है अपीलान्ट ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में अपने हक का त्याग कर दिया है। दौलतराम का देहान्त हो जाने के बाद अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट के बीच गाँव व समाज, पंचो के बीच समझौता हुआ। दौलतराम जी का काज क्रियावर, मृत्यू क्रियाकर्म इत्यादि में समस्त खर्चा रेस्पोन्डेन्ट नन्दू द्वारा किया गया है। सेवा चाकरी रेस्पोन्डेन्ट नन्दू द्वारा ही की गयी है। वादग्रस्त भूमि रेस्पोन्डेन्ट नन्दू के कब्जे काश्त में है। अपील मियाद बाहर है। नामान्तरकरण खोले 20 वर्ष हो चुके है इसलिए उक्त अपील खारिज किए जाने योग्य है।

दिनांक 25.11.2019 को पत्रावली बहस हेतु पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए देरी को कन्डोन किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने बाबत् निवेदन किया गया। अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा भी जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने बाबत् निवेदन किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया जाकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया गया। बहस अपील सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थिया द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए ग्राम पंचायत सराणा द्वारा पारित निर्णय नामान्तरकरण संख्या 687 दिनांक 23.10.1997 को निरस्त किए जाने एवं नवीन नामान्तरकरण पारित किया जाकर विवादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से का खातेदार अपीलार्थिया को एवं 1/2 हिस्से का खातेदार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कराए जाने हेतु निवेदन किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को ही बहस के अन्तर्गत दोहराते हुए कथन किया गया कि अपीलार्थिया बाली द्वारा अपने पिता दौलतराम की मृत्यु के बाद अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा गाँव व समाज के व्यक्तियों के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में हक त्याग कर दिया। बहस के दौरान अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 687 दिनांक 23.10.1997 से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज ग्राम पंचायत सराणा से मंगवाये जाने हेतु निवेदन किया गया जिसे स्वीकार किया जाकर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सराणा को पत्र लिखा जाकर नामान्तरकरण संख्या 687 दिनांक 23.10.1997 से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज दिनांक 29.11.2019 को पेश करने हेतु लिखा गया। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सराणा द्वारा बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 23.10.1997 की प्रमाण्ति छायाप्रति प्रस्तुत की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 02.12.2019 को पत्रावली पुनः बहस हेतु पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थिया द्वारा पूर्व बहस में कहे गए कथनों को दोहराते हुए अपील स्वीकार की जाकर नये सिरे से नामान्तरकरण पारित कर अपीलार्थिया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को प्रत्येक को 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज किए जाने बाबत् निवेदन किया गया। अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने कथनों को दोहराते हुए अपील मियाद बाहर प्रस्तुत होने से खारिज किए जाने बाबत् निवेदन किया गया।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। बाद मनन एवं अवलोकन स्थितति निम्न प्रकार पायी गयी। नामान्तरकरण संख्या 687 हल्का पटवारी सराणा द्वारा दिनांक 11.09.1997 को भरा गया। हल्का पटवारी द्वारा मृतक दौलतराम का पारिवारिक सजरा अंकित किया गया जिसमें पुत्री नन्दू एवं बाली का नाम दौलतराम के उत्तराधिकारियों के रूप में अंकित किया गया। नामान्तरकरण संख्या 887 के कॉलम संख्या 16 में पटवारी हल्का द्वारा यह अंकित किया गया कि खातेदार दौलतराम फौत हो चुका है, उसके जायन्दा पुत्री दोनों के नाम नामान्तरकरण भरकर पेश है। उक्त नामान्तरकरण पर भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 18.09.1997 को यह टिप्पणी अंकित की गई कि अंकन सही है। बेरून है। उक्त नामान्तरकरण के पृष्ठ भाग में ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय किया गया जिसमें अंकित किया गया कि इन्तकाल आज दिनांक 23.10.1997 को वक्त कोरम पेश हुआ। दौलतराम पिता गोपाल लुहार फौत हो चुका है कोरम की राय से खाता उसके जायन्दा वारिस श्रीमती नन्दू पुत्री दौलतराम लुहार रद्दोबदल करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर 23.10.1997 के प्रस्ताव संख्या 3 के अंतर्गत यह अंकित है कि नामान्तरकरण खोलने पर विचार विमर्श बैठक में सराणा ग्राम के नामान्तरकरण संख्या 687, 88, 89 सर्वसम्मति से विचार विमर्श कर बाद फैसल किए गए। नामान्तरकरण संख्या 687 की प्रमाणित छायाप्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पटवारी हल्का द्वारा मृतक दौलतराम के उत्तराधिकारियों के रूप में नन्दू एवं बाली का नाम अंकित किया गया था। परन्तु ग्राम पंचायत सराणा द्वारा किसी युक्तियुक्त कारण के बिना ही अपीलार्थिया का नाम नामान्तरकरण से हटा दिया गया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार पुत्रिया मृतक पिता की प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। अतः अपीलार्थिया बाली एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 नन्दू मृतक दौलतराम की प्रथम श्रेणी की वारिस होना स्पष्ट है। अतएव मृतक दौलतराम की खातेदारी में स्थित भूमि में अपीलार्थिया एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का समान हक/हिस्सा निहित है एवं इसी अनुसार दोनों उत्तराधिकारियों के नाम खातेदारी दर्ज होनी चाहिए थी, परन्तु ग्राम पंचायत सराणा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 687 निर्णित किया जाते समय बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपीलार्थिया का नाम हटा दिया गया जो कि अनुचित था एवं उत्तराधिकार प्रावधानों के विरूद्ध था। पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की स्पष्ट रिपोर्ट होने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा किया गया जो न्यायालय की दृष्टि में विधिविरूद्ध है। अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के द्वारा अपील के जवाब में कथन किया गया कि अपीलार्थिया द्वारा ग्राम एवं समाज के पंचो के समक्ष अपने हक का त्याग रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में कर दिया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा अपने कथन की पुष्टि में कोई दस्तावेज/साक्ष्य/गवाह पेश नहीं किया गया अतः अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के उक्त कथन की पुष्टि नहीं होती है। ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 23.10.1997 से भी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के उक्त कथन की पुष्टि नहीं होती है। नियमानुसार पंजीबद्ध हकत्याग के अभाव में किसी खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं होते है। पत्रावली में कोई पंजीबद्ध हकत्याग संलग्न नहीं है न ही नामान्तरकरण संख्या 687 के अंतर्गत इस आशय का वर्णन किया गया है। अतः ग्राम पंचायत सराणा द्वारा निर्णित नामान्तरकरण संख्या 687 प्रथम दृष्टया विधि शून्य प्रतीत होने से खारिज योग्य है। अतएव अपीलार्थिया की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 687 दिनांक 23.10.1997 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार माण्डलगढ़ को रिमाण्ड कर आदेश दिया जाता है कि सम्बन्धित समस्त पक्षों सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए निर्णय किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(त्रिलोक चन्द मीना)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Trilok Chand Meena
Date: 2019.12.05 13:21:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: